आदेश पर की बारे में टिप्पणी

(2)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद सं0 13/2021–22

दौलत महतो.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

नरेश महतो.....उत्तरकारी।

आदेश

24.12.2021

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–06/2019–20 में पारित आदेश दिनांक–21.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है जिसमें अपीलकर्त्ता के दावो को अस्वीकृत करते हुए उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजात, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका का न्यायालय का अभिलेख में पारित आदेश एवं अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. मौजा–कटहरा, अंचल–जरमुण्डी एक प्रधानी मौजा है एवं उक्त मौजा के अंतिम प्रधान कैली देवी थी जिनकी मृत्यु दिनांक–04.05.2019 को हो चुकी है। कैली देवी नावाल्द थी।
2. अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के देवर एवं उत्तरकारी पूर्व प्रधान का भतीजा है। दोनो का दावा प्रधान पद पर

संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत है।

3. अंचल अधिकारी, जरमुण्डी के पत्रांक–581/रा0 दिनांक–20.08.21 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता को प्रधान पद पर संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

4. अपीलकर्त्ता के विरूद्ध जरमुण्डी थाना काण्ड सं0–151/2009 में लगाया गया आरोपो से SDJM दुमका के न्यायालय से वरी किया जा चुका है।

5. अचल अधिकारी, जरमुण्डी द्वारा थाना प्रभारी जरमुण्डी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् अपीलकर्त्ता को चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। जिसमें अपीलकर्त्ता के चरित्र के विरूद्ध किसी प्रकार का शिकायत दर्ज नहीं है, का प्रमाणित किया गया है।

6. अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के नजदीकी वारिसान होने के कारण प्रधान पद पर संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत दावा बनता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य निम्न प्रकार है :–

(4)

1. उत्तरकारी पूर्व प्रधान उत्तराधिकारी है, युवा एवं शिक्षित है।
2. उत्तरकारी को 16 आना रैयतों का समर्थन प्राप्त है।
3. अपीलकर्त्ता को 16 आना रैयतों का समर्थन प्राप्त नहीं है।
4. अपीलकर्त्ता का उम्र 65 वर्ष है एवं अशिक्षित है।
5. उनका चरित्र अपराधिक है। उनके विरूद्ध कई अपराधिक मामले I.P.C धारा 147,341,323 एवं 379 के अन्तर्गत जरमुण्डी थाना में काण्ड सं0–151/2009 दर्ज है। उनका घर से सामग्री भी जब्त किया गया है।
6. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति सही है।

अतः अपील आवेदन को रद्द किया जाय।

अंचल अधिकारी, जरमुण्डी द्वारा प्रतिवेदित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अंचल अधिकारी, जरमुण्डी के पत्रांक–450/रा0 दिनांक–31.07.2021 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में पूर्व प्रधान कैली देवी की मृत्यु नावाल्द होने के कारण मौजा के प्रधान पद पर संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–05 के अन्तर्गत करने हेतु अनुशंसा किया गया है। पुनः पत्रांक–581/रा0 दिनांक–20.08.21 को अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता को संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त करने का अनुशंसा किया गया है।

(5)

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश :–

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में अपीलकर्त्ता दोलत महतो पर उनके गलत आचरण यथा लोगो से ठगी करना, मार–पीट करना इत्यादि मामलों की प्राथमिकी दर्ज होने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकृति करते हुए उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।

आदेश

उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन के पश्चात् स्पष्ट है कि अपराधी मामले में संलिप्त रहने के कारण अपीलकर्त्ता को प्रधान पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल SDJM दुमका के न्यायालय का जी0आर0 नं0–1097/2009 में पारित आदेश दिनांक–13.06.2019 में उन्हें आरोपो से वरी कर दिया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सं0–22 दिनांक–05.02.2021 में भी उनके चरित्र के विरूद्ध किसी प्रकार का शिकायत नहीं होने का प्रमाणित है। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता को संताल परगना कास्तकारी अधिनियम को धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त करने का अनुशंसा किया गया है जबकि उत्तरकारी के संबंध में धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्त करने का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इन तथ्यों पर गौर किये बिना ही दिनांक–21.08.2021 को अपीलकर्त्ता के

दावो को अस्वीकृत करते हुए उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ पूर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलकर्त्ता का चरित्र एवं किसी प्रकार का मामला दर्ज रहने के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त कर तथा उभय पक्षो को सुनकर आदेश पारित किया जाय। नियुक्ति के पूर्व S.P.T (Supplementary) Rules, 1950 के SCHEDULE V THE APPOINTMENT OF HEADMAN के Rule 3. का भी अनुपालन किया जाय, जो निम्न प्रकार उदृत है :–

The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted, should be headman. If the heir be a minor, he may be appointed headman with a sarbrakhar to manage for him until he attains his majority.

If no suitable sarbrakhar can be fund, the right of the minor lapses.

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.08 13:05:06 +05:30
Location: 169.254.227.244